कार्यालय–उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू।
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 651 /रा0, दिनांक 27.04.16

प्रेषक,

उपायुक्त, पलामू।

सेवा में,

G.M. cum Chief Engineer,
Transmission Zone-IV, Daltonganj.

विषय :– पलामू जिले के छतरपुर अंचल अंतर्गत ग्राम रूदवा में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग – आपका पत्रांक–71, दिनांक–19.12.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि पलामू जिले के छतरपुर अंचल अन्तर्गत ग्राम रूदवा में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु आपके द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा चिन्हित की गयी भूमि का प्रस्ताव भूमि सुधार उपसमाहर्ता, छतरपुर द्वारा समर्पित किया गया है।

भूमि का विवरण निम्नवत है :–

क्र0	अंचल का नाम	ग्राम/थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा	भूमि की किस्म
1	छतरपुर	रूदवा/279	36	32	6.85	गैरमजरूआ परती नाली
				01	2.60	जंगल साखु
				02	3.40	जंगल साखु
				कुल :–	12.85	

चूंकि प्रस्तावित भूमि में आंशिक भूमि गैरमजरूआ जंगल साखु प्रकृति की है। अतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के संकल्प संख्या 1817/रा0, दि0 30.04. 2015 के कंडिका–2 के अनुसार (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु 25 एकड़ भूमि तक का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी में अंतर्निहित है।

अतः विभागीय संकल्प के आलोक में 6.00 एकड़ जंगल साखु भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि फॉर्म–A में वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि वन एवं पर्यावरण विभाग से अपयोजन हेतु प्राप्त सहमति के आधार पर भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव आयुक्त, पलामू प्रमण्डल मेदिनीनगर को भेजा जा सके।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 26/04/16

उपायुक्त पलामू।

ESE/TC/Dalt
(हस्ताक्षर)
15/06/16